न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 189/2020
3. उनवान : सरकार जरिये कुशाल बिलाला प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. मैसर्स तेज एन्टरप्राइजेज, टोंक रोड, जयपुर।
2. श्री सुरेश जाट पुत्र श्री श्रवण लाल जाट, निवासी सीतारामपुरा ग्राम पंचायत पहाडिया तहसील फागी जिला जयपुर हाल डिलीवरीमैन तेज एन्टरप्राइजेज।

4. निर्णय दिनांक : 04.07.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री के.डी. शर्मा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
   स) श्री अब्दुल गफ्फार अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक जयपुर श्री कुशाल बिलाला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, नक्शा मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, बयान, फर्द तौलपट्टी आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी मैसर्स तेज एन्टरप्राइजेज के अस्थाई वितरण केन्द्र पर दिनांक 06.05.2008 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 10 घरेलू सिलेण्डर, एक बांसुरी व एक स्प्रिंग बैलेन्स को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त सिलेण्डरों के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये। मौके पर पूछताछ में अप्रार्थी संख्या 2 ने सिलेण्डरों से बांसुरी की सहायता से गैस अन्तरण कर गैस चोरी करना स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 20.08.2006 व 20.08.2008 को अधिवक्तागण ने वकालतनामा पेश किया और दिनांक 13.10.2008 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया। अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 04.07.2022 को आदेश हेतु रखी गई। हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 06.05.2008 को

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अप्रार्थी संख्या 1 के अस्थाई वितरण केन्द्र, जहां अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उसके सहयोगी की सहायता से घरेलू सिलेण्डर से दूसरे घरेलू सिलेण्डर में धातु की खोखली नली(बांसुरी) के द्वारा एलपीजी का अन्तरण कर रंगे हाथों पकडा, पर जांच कार्यवाही कर कुल 10 घरेलू सिलेण्डर, एक बांसुरी व एक स्प्रिंग बैलेन्स जब्त किये गये तथा मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 ने पूछताछ में सिलेण्डरों से बांसुरी की सहायता से गैस अन्तरण कर गैस चोरी करना स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 2 को बार–बार जवाब का मौका देने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 13.10.2009 को Ex पार्टी किया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा जब्त सिलेण्डर अवैध थे व गैस चोरी के काम आ रहे थे जिसकी पुष्टि मौके पर उपलब्ध बांसुरी, जो कि गैस को एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में भरने के काम आती है, से होती है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 10 घरेलू सिलेण्डर, एक बांसुरी व एक स्प्रिंग बैलेन्स शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

कलक्टर
(तृतीय) जयपुर